राजस्थान की सामाजिक समस्याओं में डिप्लोमा	कार्यक्रम कोड : डीएसपीआर
Diploma in Social Problems of Rajasthan	**Programme Code : DSPR**

उद्देश्य (Objectives) :

- राजस्थान में व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों एवं समस्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना एवं उनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- बालिकाओं से संबंधित समस्याओं जैसे – कन्या भ्रूण हत्या, बालविवाह, बालिकाओं के स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- बालिकाओं में अशिक्षा आदि से उत्पन्न दुष्परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना।
- महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण एवं परिणाम बताना और उन्हें दूर करने के बारे में जानकारी देना।
- राज्य में नशे की स्थिति से अवगत कराना और स्वयं व्यक्ति पर एवं समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों एवं नशा मुक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना।
- नशा मुक्ति के बारे में पारित कानूनों की जानकारी देना एवं सामाजिक समस्याओं के निवारण में राज्य, पुलिस, मीडिया एवं एन.जी.ओ. की भूमिका से अवगत करवाना।

प्रवेश योग्यता (Admission Eligibility) :

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण अथवा बीसीपी/बीएपी उत्तीर्ण अथवा 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति।

अवधि (Duration) : न्यूनतम 1 वर्ष ; अधिकतम 4 वर्ष

माध्यम (Medium) : पाठ्य सामग्री केवल हिन्दी में उपलब्ध

श्रेयांक (Credit) : 24

शुल्क (Fee) : पुरूषों के लिए रूपये 1500/– (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र) एवं महिलाओं के लिए रूपये 600/– (रूपये छः सौ मात्र)

कार्यक्रम संरचना
(Programme Structure):

इस कार्यक्रम में निम्नांकित चार पाठ्यक्रम हैं :

क्र.सं. (S.No.)	पाठ्यक्रम का नाम (Name of Course)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	श्रेयांक Credit
1.	महिला प्रस्थिति : विविध आयाम	डीएसपीआर–01	6
2.	सामाजिक समस्याएँ एवं व्यसन : नवीन प्रवृत्तियाँ एवं विकृतियाँ	डीएसपीआर–02	6
3.	सामाजिक समस्याएँ : राज्य, प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तन	डीएसपीआर–03	6
4.	व्यावहारिक/स्वजनित प्रस्तुतीकरण प्रायोगिक एवं व्यावहारिक कार्य (अपनी क्षेत्रीय समस्याओं में से किसी एक पर प्रतिवेदन)	डीएसपीआर–04	6

परीक्षा पद्धति (Examination Pattern) :

न्यूनतम अवधि अर्थात् 1 वर्ष बाद विद्यार्थी की प्रत्येक पाठ्यक्रम में तीन घंटे की लिखित सत्रांत परीक्षा आयोजित होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा। उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक पाठ्यक्रम में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। सफल विद्यार्थियों को निम्न तालिका के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी–

प्रथम श्रेणी	–	60% एवं अधिक
द्वितीय श्रेणी	–	48% एवं 60% से कम
उत्तीर्ण	–	36% एवं 48% से कम